डीआरआई ने त्रिपुरा में 7 करोड़ रुपये की 7 किलोग्राम मेथमफेटामाइन गोलियां जब्त कीं; दो व्यक्ति गिरफ्तार

प्रविष्टि तिथि: 02 JUN 2025 6:07PM by PIB Delhi

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अवैध व्यापार और तस्करी पर अंकुश लगाने के अपने निरंतर प्रयास में, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने त्रिपुरा में मेथमफेटामाइन गोलियों की एक बड़ी खेप की तस्करी विफल कर दी।

अगरतला क्षेत्रीय इकाई के डीआरआई अधिकारियों ने 28 बटालियन असम राइफल्स की सहायता से 31.05.2025 की देर रात को भारी मात्रा में मेथमफेटामाइन गोलियां ले जाने के संदेह में एक मारुति वैगन-आर कार को रोका। कार को तेलियामुरा के बाहरी इलाके में रोका गया, जब वह उत्तरी त्रिपुरा के धर्मनगर क्षेत्र से आ रही थी और पश्चिमी त्रिपुरा के अगरतला की ओर जा रही थी।

वाहन की तलाशी लेने पर,बोनट के नीचे काउल-कवर के नीचे छिपाए गए ईंट के आकार के सात पैकेट बरामद किए गए। पैकेट में 7 किलोग्राम वजनी मेथमफेटामाइन की गोलियां थीं, जिनकी कीमत अंतरराष्ट्रीय अवैध ड्रग मार्केट में 7 करोड़ रुपये है। प्रतिबंधित दवा की तस्करी में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है,जबकि गोलियों और वाहन को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट,1985 के तहत जब्त कर लिया गया।

जनवरी 2025 से, डीआरआई ने त्रिपुरा में 28.74 करोड़ रुपये की मेथमफेटामाइन की गोलियां जब्त की हैं और सात लोगों को गिरफ्तार किया है। एनडीपीसी अधिनियम में अपराधियों को 10 साल तक के कठोर कारावास सहित कड़ी सजा का प्रावधान है।

***

एमजी/आरपीएम/केसी/एसकेजे/आरके

(रिलीज़ आईडी: 2133361) आगंतुक पटल : 17

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Gujarati , Tamil , Malayalam